



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त 1 अवैध तमंचे के साथ

गिरफ्तार

जनपद सीतापुर में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु एवम् वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा निरंतर प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रेउसा पुलिस द्वारा दिनांक 3.11.2020 को मु0अ0सं0 320/20 धारा 307 भादवि थाना रेउसा जनपद सीतापुर में वांछित अभियुक्त हरिभजन पुत्र प्रेमदास नि0 ग्राम सोनावा थाना रेउसा सीतापुर को ग्राम पतरासा चौराहा के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त के पास से एक अदद देशी तमन्चा 12 बोर ,01 खोखा 2 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ है, जिसके संबंध में मु0अ0सं0 323/20 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना रेउसा जनपद सीतापुर पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी।

अभियुक्त का नाम व पता- हरिभजन पुत्र प्रेमदास नि0 ग्राम सोनावा थाना रेउसा सीतापुर

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. थानाध्यक्ष श्री पुष्पराज कुशवाहा
2. उपनिरीक्षक श्री अमित कुमार
3. हे0 का0 शिवेन्द्र पाण्डेय
4. का0 दुष्यन्त कुमार
5. म0का0 नम्रता सिंह

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 249/15 धारा 498ए/304बी/302 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना रेउसा जनपद सीतापुर
2. मु0अ0सं0 320/20 धारा 307 भादवि थाना रेउसा जनपद सीतापुर
3. मु0अ0सं0 323/20 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना रेउसा जनपद सीतापुर